न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 26/2021 बउनवानी मदन मोहन जांगिड बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
पुत्र श्री मांगीलाल जांगिड निवासी राजबाग बांकी माता मंदिर के पीछे शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/67

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 22.3.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

8. कार्मिक प्रहलाद जांगिड पटवारी अक्षयगढ की जिला कलेक्टरं महोदय के पत्रांक 10474–78 दिनांक 11.10.2013 के द्वारा असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्वि रोकी गयी थी जो उपस्थित होने पर दी गयी है। जिसका कार्मिक को 18 वर्षीय ए.सी.पी. पर कोई प्रभाव नही पडता है फिर कार्मिक प्रहलाद जांगिड द्वारा ए.सी.पी. 18 वर्षीय परिलाभ वृद्वि दिनांक 8.7.2020 को जिस आदेश नियम या उप नियम के तहत रोका गया है उसी आदेश या नियम की सत्यप्रति चाहिए।
9. कार्मिक सत्र 1.7.2014 की वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोकी गयी है सत्र 2015–16 व 2016–17 की वेतन वृद्वि जिला कलेक्टर के पत्रांक 9507–13 दिनांक 20.6.2016 के तहत संचयी प्रभाव से रोकी गयी है कार्मिक को दिनांक 1.7.2017 को वेतन वृद्वि मिलनी चाहिए थी जो नही दी गयी संबंधित ने जिस आदेश के तहत दिनांक 1.7.2017 की वेतन वृद्वि रोकी है उसी आदेश की सत्यप्रतिलिपि चाहिए।
10. कार्मिक प्रहलाद जांगिड के समर्पित अवकाश सत्र 2018–19 का भुगतान तहसीलदार खण्डार द्वारा जिस आदेश के तहत रोका है उस आदेश की सत्यप्रति निर्धारित अवधि दिनांक 20.4.2021 तक चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से कोई जवाब नोटिस क्रमांक/एल. आर/2021/526 दिनांक 7.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.3.2021 मे चाही गयी सूचना कुल 2 पृष्ठों की तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 384 दिनांक 19.4.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.3.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 में चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार ने अपने पत्रांक 384 दिनांक 19.4.2021 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना बताया गया है किन्तु जवाब नोटिस के साथ संलग्न सूचना की प्रति का अवलोकन किये जाने पर उक्त [illegible] गयी सूचना चाही जा रही सूचना से भिन्न पायी गयी है। अतः तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही जा रही बिन्दुवार सूचना 7 दिवस मे [illegible] पालना भिजवावे। साथ ही अब तक सूचना उपलब्ध नही करवाने के लिए [illegible] अधिकारी/कार्मिक की जिम्मेदारी आयद कर संबंधित दोषी अधिकारी/कार्मिक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उक्त [illegible] के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:38:50 IST
Reason: SelfAttested